37

113

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

अनुकम्पा नियुक्ति
परिपत्र क्रमांक 3

भोपाल, दिनांक/ 23/7/2001

क्रमांक/सी-3-7/2000/3/एक/

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति में प्राथमिकता ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 1.5.2000 एवं दिनांक 15.12.2000

--x--

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में नये निर्देश इस विभाग के सन्दर्भित ज्ञाप दिनांक 1.5.2000 द्वारा जारी किये गये थे। तत्पश्चात् सन्दर्भित ज्ञापन दिनांक 15.12.2000 द्वारा पूर्व ज्ञापन दिनांक 1.5.2000 में कुछ संशोधन किये गये थे ।

2/ विभिन्न कर्मचारी संघो से प्राप्त निवेदनो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर, राज्य शासन ने उपर्युक्त ज्ञाप दिनांक 1.5.2000 एवं सहपठित ज्ञापन दिनांक 15.12.2000 में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया है:-

(1) दिनांक 1.5.2000 के निर्देशो में प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त केवल मृतक शासकीय सेवक की धर्मपत्नी के मामलों में शिथिल रहेगी। इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध मे अधिकतम आयु सीमा मे आठ वर्ष की छूट दी जावें।

(2) दिनांक 1.5.2000 के निर्देशो मे यह प्रावधान था कि आवेदक का म०प्र० ... विद्यालय से हायर सेकेण्ड्री अथवा महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना
... सेकेण्ड्री से नीचे की योग्यता निर्धारित

(38)

है, मृतक शासकीय सेवक की धर्मपत्नि के लिये यह शर्त लागू नहीं होगी । इसमें संशोधन कर अब यह निर्णय लिया गया है कि मृतक शासकीय कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर, शैक्षणिक योग्यता धारित की हो ।

§3§ दिनांक 15.12.2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर सीधी भरती के निम्नतर पद यथा सहायक ग्रेड-3, शिक्षा कर्मी, बार्डबॉय, वनरक्षक आदि तथा भृत्य अथवा उसके समकक्षीय चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही दी जा सकेगी, परन्तु तृतीय श्रेणी का निम्नतम पद कार्यपालन श्रेणी का नहीं होगा । इसमें आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर सीधी भरती के निम्नतर पद यथा सहायक ग्रेड-3, शिक्षा कर्मी, बार्ड बॉय, वनरक्षक, पटवारी, तथा भृत्य अथवा उसके समकक्षी चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही दी जा सकेगी किन्तु तृतीय श्रेणी के किसी अन्य कार्यपालिक श्रेणी के पद पर नहीं दी जा सकेगी ।

§4§ दिनांक 15.12.2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि यदि मृत शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से पांच वर्ष तक रिक्त पद उपलब्ध नहीं हुआ तो अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता समाप्त हो जायेगी । इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक की मृत्यु के सात वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर, उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

§5§ दिनांक 1.5.2000 के निर्देशों में यह प्रावधान था कि मृतक शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य §धर्मपत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/ऐसी पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो गई हो§ जो मृतक शासकीय सेवक के साथ, रहती हो तथा उस पर पूर्णतः आश्रित हो, को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी । इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान न हो, तो उसकी दत्तक संतान को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी । साथ ही मृतक शासकीय सेवक के साथ रहने वाली एवं उस पर पूर्णत आश्रित ऐसी तलाकशुदा पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी, जो मृतक शासकीय सेवक की एक मात्र संतान हो ।

§6§ यह भी निर्णय लिया गया है कि साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा दी

(7) इस विभाग के निर्देश दिनांक 1.5.2000 के अन्तर्गत विहित अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया की कंडिका-2 में यह प्रावधान था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा, जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदो पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो, परन्तु ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसे विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति के पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रावधान को विलोपित किया जावे अर्थात् अनुकम्पा नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होगा।

3/ ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणो का निराकरण भी, इन्हीं निर्देशो के तहत् किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(डी. एस. माथुर)
प्रमुख सचिव
मप्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग